

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूददेशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर  
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा-गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर,  
जमशेदपुर/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन  
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : ३१/५/१९

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अवमाननावाद संख्या-372/2018, बन्दना रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के द्वारा पारित न्याय निदेश के आलोक सुवर्णरेखा बांध परियोजना के स्थापना मद के विधि प्रभार अन्तर्गत निधि का आवंटन।

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2588, दिनांक 20.05.2019

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट मुख्य शीर्ष 2700-मुख्य सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग / 2700-मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई-वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन / 02-स्वर्णरेखा बांध परियोजना	5.000

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये पाँच लाख मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट उपबंध ₹ 19358.53 लाख (एक सौ तिरानबे करोड़ अन्तावन लाख तिरपन हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

३१/५/१९


(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

३१/५/१९  
(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
9. वित विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।
11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरुद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2020 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साइट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


  
(अरुण कुमार सिंह) 31.5.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 41

रॉची, दिनांक :- 31/5/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला-खरसौंवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(अरुण कुमार सिंह) 31.5.19  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 41

रॉची, दिनांक :- 31/5/19


प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
2020/05/19

(रमेश कुमार दूबे)  
उप सचिव (अभि.)

(रमेश कुमार दूबे)  
विशेष सचिव

  
(अरुण कुमार सिंह) 31.5.19  
अपर मुख्य सचिव

मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-01-मुख्य सिंचाई वागिजियक  
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-02-स्वर्णरेखा बौद्ध परियोजना

वित्तीय वर्ष 2019-20		विस्तृत शोर्ख-01-वेतन एवं भर्ती		विस्तृत शोर्ख-02-यात्रा व्यय		विस्तृत शोर्ख-03-प्रशासनिक व्यय		विस्तृत शोर्ख-04-नोटभारतीय व्यय		विस्तृत शोर्ख-05-अन्य व्यय		एशि. लाख रुपये में	
क्रम सं.	कार्यालय का नाम	वेतन	15.1.2020 के पहुंच का बचपान वर्तनादि	एलटीसी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूसराख	दर्दी	विष्टु व्यय	नोटसारिया इंधन एवं मरमति	विधि प्राप्त	कुल योग	अनियुक्त
1	आयोजन एवं मोनोट्रियो प्रमंडल - जमशेदपुर	विष्ट्र कोड	49S270001001	49S27000100	49S270001001	49S270001001	49S27000100	49S270001001	49S270001001	49S27000100	49S270001001	49S27000100	49S27000100
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आयोजन एवं मोनोट्रियो प्रमंडल - जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	251.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	251.800
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000
	उत्तर आवंटन	251.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.000	0.000	0.300	5.000	256.800	
	आतोरिक्त आवंटन का योग	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	5.000		

नोट: 1.अमरावाद संख्या-372 / 2018, बन्दना रजक बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, आरखण्ड, रैची के प्रसार पारित न्याय निदेश तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2588, दिनांक 20.05.2019 के आलोक में दण्ड की राशि का भुगतान हेतु।

आवंटित राशि- रूपये पाँच लाख मात्र ॥

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

अप सचिव (अधि. )  
राजेन्द्र प्रसाद  
अप सचिव (अधि.)  
~~रमेश कुमार द्वितीय~~  
विशेष सचिव  
अल्लन कुमार सिंह  
अप मुख्य सचिव  
21.5.15

(अरुण कुमार सिंह)

(अरुण कुमार सिंह)  
अप्र मुख्य सचिव  
२१.५.१५